

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्र. 1661/युक्तियुक्तकरण/2025-26

कोरबा दिनांक 31/05/2025

13

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 02-24/2024/20-तीन नवा रायपुर दिनांक 24.04.2025 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 02.08.2024 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में रखने के लिए एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हाकि अतिशेष शिक्षको को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर आयोजित काउंसलिंग दिनांक 31.05.2025 में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था या अनुपस्थिति/संस्था नहीं चुनने की स्थिति में समिति द्वारा आबंटित संस्था अनुसार कॉलम नं. 02 के अतिशेष सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथ. शा. को कॉलम नं. 6 में दर्शित संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अतिशेष शिक्षक का नाम	पदनाम	पदस्थ संस्था का नाम	वि.खं. का नाम	युक्तियुक्तकरण पश्चात पदस्थापित संस्था	वि.खं. का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती निवेदिता सिंह	सहा.शि. एल. बी.	प्रा.शा. ईरफ 22051807501	पाली	प्राथमिक शाला छपराहीपारा चैतमा क	पाली

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति द्वारा अनुमोदित)

शर्त:-

1. संबंधित सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक को दिनांक 16.06.2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
2. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही नवीन संस्था हेतु भारमुक्त माने जाएंगे एवं इसके पश्चात् भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुपस्थित माने जाएंगे व संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. नवीन संस्था में त्रुटिवश एक शिक्षक से अधिक शिक्षक पदस्थ होने की स्थिति में नवीन एकल/शिक्षक विहीन संस्था आबंटित की जाएगी।
4. यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के आधीन होगा।
5. यदि किसी दिव्यांग/परीक्षार्थी शिक्षक की पदस्थापना होती है तो यह आदेश उनके लिए लागू नहीं होगी।

प्राप्त किया

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनांक 31/05/2025

पृ. क्र. 1662/युक्तियुक्तकरण/2025-26

प्रतिलिपि: 13

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला-कोरबा छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोरबा को सूचनार्थ।
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला कोरबा, को सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरबा को सूचनार्थ।
7. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व प्राचार्य, शा.हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालय, जिला कोरबा को सूचनार्थ।
9. संबंधित श्री/श्रीमती जिला-कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)